भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2304

उत्तर देने की तारीख : 13.03.2025

पश्चिम बंगाल में एमएसएमई की स्थापना

2304. श्री सौमित्र खान:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों, जिनमें अन्य के साथ-साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम, खरीद और विपणन सहायता स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम, राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब, एमएसएमई चैम्पियंस तथा एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 शामिल हैं, के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने में पश्चिम बंगाल राज्य सहित देशभर में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है।

(i) वर्ष 2020 में निवेश और टर्नओवर के दोहरे मानदंडों के आधार पर परिभाषा में संशोधन किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा को लागू किया गया था तथा दिनांक 01.07.2020 को पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने तथा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। पश्चिम बंगाल राज्य में यूएपी सहित उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर कुल एमएसएमई पंजीकृत इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-

पश्चिम बंगाल राज्य में उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कुल एमएसएमई की संख्या					
वित्त वर्ष	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम	कुल उद्यम	रिपोर्ट किए गए रोजगार
2021-22	1,56,724	11,663	977	169,364	20,21,225
2022-23	2,69,357	8,246	382	277,985	28,01,079
2023-24	27,60,247	5,646	297	27,66,190	65,08,171

(ii) पीएमईजीपी के अंतर्गत, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं सहित, विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में यह सब्सिडी 25 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
वित्त वर्ष 2021-22	2,305	85.39	18,440
वित्त वर्ष 2022-23	2,126	74.08	17,008
वित्त वर्ष 2023-24	1,919	74.23	15,352

(iii) क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 90 प्रतिशत तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए (01.04.2023 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं। जैसाकि सीजीटीएमएसई द्वारा सूचित किया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु प्रदान की गई गारंटियों की संख्या और अनुमोदित गारंटियों की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)
2021-22	37,033	2,887
2022-23	54,440	6,036
2023-24	1,06,073	11,887

(iv) एमएसएमई मंत्रालय की खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, वेंडर विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लागू करने आदि में व्यक्तिगत एमएसई की सहभागिता के माध्यम से बाजार तक पहुंच हेतु एमएसई के लिए लाभ प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमएसएस के तहत लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	घरेलू व्यापार मेलों में सहभागिता के लिए लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	राज्य में बारकोड को अपनाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की गई इकाइयों की संख्या	ई-कॉमर्स को अपनाने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की गई इकाइयों की संख्या	आवंटित वेंडर विकास कार्यक्रमों की संख्या
2022-23	246	2	94	3
2023-24	297	10	527	1
2024-25 (दिनांक 10.03.25 तक)	217	3	322	-

(v) एमएसएमई मंत्रालय मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाकर एमएसई के समग्र विकास हेतु तथा उनकी उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए विगत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25, दिनांक 11.03.2025 तक) के दौरान कुल 662.78 लाख रुपए अनुदान के रूप में जारी किए गए थे।

*****